न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 172/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/270

प्रार्थीगण	बनाम विप्रार्थी
1.श्रीमती देश कंवर पत्नी बाबुसिंह 2.कैलाशकंवर पुत्री बाबुसिंह जाति पुरोहित निवासी भलरों का बाड़ा तहसील समदड़ी 3.दरियादेवी पत्नी देवीसिंह जाति पुरोहित निवासी सराणा 4.मानसी पुत्री संतोषसिंह जाति सिन्धी निवासी शास्त्री नगर जोधपुर	1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा 2.सहायक अभियन्ता सा.नि.वि.बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री छत्रकरण भाटी व श्री श्रवणकुमार राजपुरोहित,अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 12/7/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम होटलु तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 445/257 रकबा 18.00 बीघा भूमि अवस्थित थी। उक्त विवादित भूमि में से 3.00 बीघा भूमि बालोतरा से समदड़ी जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग में कटान होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी 15.00 बीघा अवशेष रही। तदोपरान्त अन्य रास्ते हेतु भूमि 0.04 बीघा कटान होने पर प्रार्थीगण की भूमि रकबा 14.16 बीघा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ता कटान [illegible] प्रार्थीगण की भूमि सड़क के उत्तर व दक्षिण बदिशा दोनो तरफ अवस्थित है। विवादित [illegible] बदिशा उत्तर में स्थिति भूमि प्रार्थीगण की हक हकूक होने के उपरांत भी [illegible] नहीं दिए गए। अतः प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 445/257 की वर्तमान [illegible] नक्शा तरमीम मौका स्थिति अनुसार करते हुए खसरा संख्या 446/445 के बदिशा उत्तर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

अवस्थित भूमि खसरा संख्या 445/257 का अभिन्न अंग मानते हुए नक्शा लट्ठा ट्रेस में बट्टा नम्बर अंकित कर तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की तरमीम दुरस्त की जाती हैं,तो आपति नहीं हैं। वक्त बहस विप्रार्थी पक्ष अनुपस्थित रहें।

3.प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम होटलू की मूल खसरा संख्या 257/2 रकबा 18.00 बीघा प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी हेमा वल्द पूनमा कौम भील की खातेदारी भूमि में अवस्थित थी। विवादित भूमि में से 3.00 बीघा भूमि बालोतरा से समदड़ी जाने वाली मुख्य सड़क मार्ग में कटान होने पर शेष भूमि 15.00 बीघा रही। शेष 15.00 बीघा भूमि में से 0.04 विस्वा अन्य सड़क मार्ग में कटान होने पर खसरा संख्या 445/257 रकबा 14.16 बीघा रहा। विवादित भूमि में से सड़क मार्ग बीच में कटान होने के कारण प्रार्थीगण की भूमि दोनो तरफ उत्तर व दक्षिण में अवस्थित है। विवादित भूमि को प्रार्थीगण द्वारा अलग–अलग तीन बेचान–पत्रो के जरीए क्रय की गई,वक्त खरीद से प्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा मौका कब्जा–काश्त के विपरीत तरमीम की गई। प्रार्थीगण के विवादित खसरा संख्या 445/257 रकबा 14.16 बीघा रेकर्ड में दर्ज हैं,जबकि उक्त खसरान की मौके पर भूमि 12.15 बीघा हैं तथा विवादित भूमि के बदिशा उत्तर में 2.01 बीघा भूमि,जिस पर प्रार्थीगण काबिज हैं,लेकिन रेकर्ड में खसरा संख्या अंकन नहीं हो सका हैं। जबकि विवादित भूमि में सड़क मार्ग हेतु भूमि कटान होने के कारण प्रार्थीगण के खेत के दो टुकड़े हो गए। बदिशा उत्तर में स्थित भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने के उपरांत प्रार्थीगण के नाम मय खसरान नम्बर नहीं दिए गए। जबकि विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने अपने जबवा में स्वीकार किया हैं कि प्रार्थीगण के आवेदन में वर्णित तथ्य सही हैं। तरमीम दुरस्ती करवाने के हकदार है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 445/257 का मौका कब्जा–स्थिति अनुसार रकबा 12.15 बीघा राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में कायम करते हुए बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 445/257 के शेष रकबा 2.01 बीघा भूमि का नक्शा लट्ठा ट्रेस में बट्टा खसरा नम्बर अंकित कर जमाबंदी खतौनी में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती की जावे।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम होटलू तहसील [illegible] की मूल खसरा संख्या 257/2 रकबा 18.00 बीघा भूमि हेमा पुत्र पूनमा कौम भील साकिन [illegible] खातेदारी में अवस्थित थी। उक्त भूमि में से 3.00 बीघा सड़क मार्ग में कटान होने पर खसरा संख्या 257/2/2 कायम हुए। जो कि नामान्तकरण संख्या 111 के अवलोकन करने से स्पष्ट हैं। विवादित भूमि हेमा वल्द पूनमा कौम भील का आंवटन हुई थी,जो कि नामान्तकरण संख्या 80 अवलोकन से स्पष्ट हैं। तदोपरान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी S.D.O. बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विवादित भूमि खसरा संख्या 267/2 के नए खसरा संख्या 445/257 रकबा 16.00 बीघा कायम हुए। विवादित भूमि की तत्कालीन खातेदार श्रीमती तीजकीदेवी द्वारा भूमि संपरिवर्तन करवाए जाने पर भूमि की किस्म बा.अ. से किस्म गै.मु.आवासीय दर्ज हुई। संपरिवर्तन नक्शा को भी विहित प्राधिकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी किया गया होगा तथा उक्त संपरिवर्तन नक्शे के आधार पर ही तरमीम रेकर्ड में की जानी चाहिए थी,जो कि विदयमान लटढा नक्शा में विपरीत तरमीम होना प्रार्थीगण द्वारा बताया जा रहा है तथा तहसीलदार पचपदरा ने भी रेकर्ड व मौका के विपरीत विदयमान तरमीम होना बताया है। विवादित भूमि के हकपूर्वाधिकारी से तीन अलग-अलग बेचान-पत्र के द्वारा भूमि प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई। वर्तमान में प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या 445/257 रकबा 14.16 बीघा दर्ज हैं।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम-होटलू तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 445/257 रकबा 14.16 बीघा भूमि के संबध में संपरिवर्तन नक्शा एवं विदयमान लटढा नक्शा का मिलान करते हुए मौका कब्जा स्थिति एवं रेकर्ड के आधार पर विधि में निहित प्रावधानों के तहत विधिनुसार रेकर्ड एवं तरमीम दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.7.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:58:37 IST
Reason: SelfAttested